बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

:: संकल्प ::

विषय – बिहार राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन तथा उद्देश्यों/कृत्यों/दायित्वों का पुनर्निधारण।

01. उपर्युक्त विषय पर पूर्व के सभी संकल्पों को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने अपने संकल्प सं0–मं0मं0–02/बी0रा0रा0प0–502/03–1218/सी0 दिनांक–14.06.2007 के द्वारा बिहार राज्य नागरिक परिषद् को पुनर्जीवित करते हुए पुनर्गठित किया है।

02. पूर्व में राज्य सरकार के संकल्प सं0–ए0/ना0प0 1–104/37 मं0स0–705 दिनांक–24.04.1987 के द्वारा बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन एवं उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था। राष्ट्रीय एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाये रखने के साथ ही सामाजिक समरसता एवं सद्भाव कायम रखने तथा आपदाओं से बचाव में जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्यों को दृष्टि पथ में रखते हुए इस परिषद् का पुनर्गठन अपेक्षित था। आये दिन, राज्य के निवासियों को प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है। फलस्वरूप व्यापक रूप से जान–माल की क्षति होती है। आज प्रत्येक नागरिक का सबसे प्रमुख कर्त्तव्य, राज्य एवं देश की एकता को बनाये रखना, देश की अखंडता की सुरक्षा करना, मानव जनित अथवा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पारस्परिक सहयोग करना है। त्याग और बलिदान के आधार पर, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भाव के बल पर राज्य के जनजीवन को सुरक्षा प्रदान करना हर कीमत पर अपेक्षित है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नागरिक परिषद् के उद्देश्यों को और व्यापक बनाया जाये और उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों को पुनर्निधारित किया जाय। उपर्युक्त उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए और उनके सफल कार्यान्वयन के लिए वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य नागरिक परिषद् को निम्न रूपेण त्रिस्तरीय संगठन के रूप में पुनर्गठित किया जाता है :–

1. राज्य स्तर पर बिहार राज्य नागरिक परिषद्
2. जिला स्तर पर जिला नागरिक परिषद्
3. थाना स्तर पर थाना नागरिक परिषद्

03. <u>नागरिक परिषद् का लक्ष्य (मिशन) निम्नवत होगा</u> :–

(i) मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग;

(ii) राष्ट्रीयता एकता [illegible] समरसता एवं सद्भाव कायम रखना।

04. <u>संगठन</u> :

(क) **<u>बिहार राज्य नागरिक परिषद् का स्वरूप निम्नवत होगा</u> :–**

1.	महामहिम राज्यपाल	–	संरक्षक
2.	मुख्यमंत्री, बिहार	–	अध्यक्ष
3.	मुख्यमंत्री द्वारा नामित	–	दो उपाध्यक्ष
4.	मुख्यमंत्री द्वारा नामित	–	महासचिव – एक या एक से अधिक
5.	विरोधी दल के नेता (बिहार विधान सभा)	–	सदस्य

6. बिहार राज्य में रह रहे सेवा निवृत्त सैन्य सेवा के पदाधिकारी – एक या एक से अधिक (मुख्यमंत्री द्वारा नामित)

7. प्रधान सचिव/सचिव, – पदेन सदस्य–सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अन्य पदेन सदस्य

8. मुख्य सचिव, बिहार
9. विकास आयुक्त, बिहार
10. प्रधान सचिव/सचिवगण,
    - (i) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
    - (ii) सूचना एवं जन संपर्क विभाग
    - (iii) आपदा प्रबंधन विभाग
    - (iv) मानव संसाधन विकास विभाग
    - (v) गृह विभाग
    - (vi) स्वास्थ्य विभाग
    - (vii) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
    - (viii) वित्त विभाग
    - (ix) समाज कल्याण विभाग
    - (x) कृषि विभाग
    - (xi) ग्रामीण विकास विभाग
    - (xii) पंचायती राज विभाग
    - (xiii) नगर विकास विभाग
    - (xiv) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
    - (xv) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग
    - (xvi) अल्प संख्यक कल्याण विभाग
11. आरक्षी महानिदेशक, बिहार
12. असैनिक सुरक्षा आयुक्त
13. विश्वविद्यालयों के कुलपति – दो (चक्रानुसार)
14. सभी प्रमंडलीय आयुक्त
15. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा संघ (आई0 एम0 ए0)

16. अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ
17. अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स
18. अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग
19. कमान्डेट, बिहार एंड उड़ीसा सब एरिया, दानापुर कैन्ट
20. अध्यक्ष, बिहार अधिवक्ता संघ
21. अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग
22. अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग
23. अध्यक्ष, महादलित आयोग
24. अध्यक्ष, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग आयोग

अन्य सदस्यगण

25. मुख्यमंत्री द्वारा 21 सदस्यगण नामित किए जायेंगे।
(जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्गों का भी प्रतिनिधित्व होगा)

(ख) जिला नागरिक परिषद् का स्वरूप निम्नवत होगा :–

1. जिला कार्यक्रम कार्यान्वयण समिति के अध्यक्ष–सह–प्रभारी मंत्री – अध्यक्ष
2. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष, बिहार राज्य नागरिक परिषद्) द्वारा नामित – दो उपाध्यक्ष
3. जिला के सभी लोक सभा सदस्य – पदेन सदस्य
4. जिला के वैसे राज्यसभा सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो – पदेन सदस्य
5. जिला के विधान सभा के सभी सदस्य – पदेन सदस्य
6. जिला के विधान परिषद् के वैसे सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो – पदेन सदस्य
7. जिला पर्षद् के अध्यक्ष तथा जिला मुख्यालय एवं जिला स्थित सभी नगर निगम के महापौर अथवा नगर निकाय के अध्यक्ष – पदेन सदस्य
8. जिला के जिला पदाधिकारी – सदस्य सचिव
9. पुलिस अधीक्षक – सदस्य

10. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष बिहार राज्य नागरिक परिषद्) द्वारा मनोनीत — सदस्य ग्यारह (11) सदस्य (जिनमें अनुसूचित जाति/जन जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला अल्पसंख्यक वर्गों का भी प्रतिनिधित्व होगा)

11. इसके अतिरिक्त जिला के उपविकास आयुक्त तथा सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी पदेन सदस्य होंगे।

(ग) *थाना नागरिक परिषद् का स्वरूप निम्नवत होगा :—*

1. मुख्यमंत्री द्वारा नामित सामाजिक कार्यकर्त्ता — अध्यक्ष
2. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष बिहार राज्य नागरिक परिषद्) द्वारा नामित — एक उपाध्यक्ष
3. थाना के लोक सभा सदस्य जिनका गृह थाना प्रश्नगत थाना में अवस्थित हो, के नामित प्रतिनिधि — पदेन सदस्य
4. थाना के राज्यसभा सदस्य जिनका गृह थाना प्रश्नगत थाना में अवस्थित हो, के नामित प्रतिनिधि — पदेन सदस्य
5. थाना के सभी विधान सभा सदस्यों, के नामित प्रतिनिधि — पदेन सदस्य
6. थाना के विधान परिषद् के वैसे सदस्य, जिनका गृह थाना प्रश्नगत थाना में अवस्थित हो, के नामित प्रतिनिधि — पदेन सदस्य
7. प्रखंड प्रमुख — पदेन सदस्य
8. थाना अवस्थित नगर पंचायत/नगर निकाय के अध्यक्ष — पदेन सदस्य
9. थाना प्रभारी — सदस्य सचिव
10. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष बिहार राज्य नागरिक परिषद्) द्वारा नामित — सदस्य (नौ) सदस्य जिनमें अनुसूचित जाति/जन जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व भी रहेगा)।
11. इसके अतिरिक्त सभी थाना स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी इस परिषद् के पदेन सदस्य होंगे।

05. *त्रिस्तरीय नागरिक परिषद् के निम्नलिखित कृत्य एवं दायित्व होंगे :–*

(1) परिषद् नागरिकों में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को विकसित और जागृत कर उग्रवादी, आतंकवादी और विघटनकारी शक्तियों के प्रयासों को विफल करने के उद्देश्य से सतत प्रयासों के जरिये सघन जनमत तैयार करेगा।

(2) प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति में परिषद् बिहार राज्य आपदा प्रबंधन नीति के प्रावधानों के आलोक में आपदा प्रबंधन के कार्यो के कार्यान्वयन में आम जन का सक्रिय सहयोग प्राप्त करेगा।

(3) सरकार के आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए नागरिक परिषद् समय–समय पर सेमिनार, संगोष्ठी आदि का आयोजन करेगा और कार्यक्रमों के प्रसार एवं प्रचार द्वारा उसे जनता तक पहुँचाएगा।

(4) नागरिक परिषद् स्थानीय नागरिक सुरक्षा संगठन की सहभागिता से नागरिकों को सतत् सक्रिय सहयोग हेतु प्रोत्साहित करेगा।

06. अध्यक्ष के निदेशानुसार सदस्य–सचिव परिषद् की बैठक आहूत करेंगे और बैठक की कार्यवाही भी तैयार कर सभी सदस्यों को उपलब्ध कराएँगें।

07. परिस्थिति विशेष में राज्य नागरिक परिषद् के **अध्यक्ष,** आवश्यकतानुसार किसी विशेष कार्य हेतु सदस्य सचिव, राज्य नागरिक परिषद् को अपने स्तर से सीधे भी निदेश देंगे और परिषद् की बैठक में इसकी सूचना दे देंगें।

08. बिहार राज्य नागरिक परिषद् की प्रत्येक छः माह में एक बार बैठक होगी।

09. (क) जिला नागरिक परिषद् की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी।

(ख) जिलाधिकारी–सह–सदस्य सचिव प्रत्येक बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व संसूचित करेंगे। इसके लिए आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, जिला नागरिक परिषद् की राय से जिलाधिकारी रोस्टर संधारित कर संसूचित कर सकते हैं।

(ग) परिषद् के वैसे गैर सरकारी सदस्य (सांसद/विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर) जो परिषद् की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे, उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

10. (क) थाना नागरिक परिषद् की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी।

(ख) थाना प्रभारी प्रत्येक बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व संसूचित करेंगे। इसके लिए आवश्यकतानुसार थाना नागरिक परिषद् के अध्यक्ष की राय से थाना प्रभारी क्षेत्र संधारित कर संसूचित कर सकते हैं।

(ग) परिषद् के वैसे गैर सरकारी सदस्य (सांसद/विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर) जो परिषद् की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

बिहार राज्य नागरिक परिषद् "निधि", लेखा संधारण एवं वित्तीय शक्तियाँ

11. चूंकि बिहार राज्य नागरिक परिषद् को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होगा और कंडिका 13 के अन्तर्गत चंदा एकत्रित करने की भी छूट रहेगी, अतः उक्त अनुदान तथा चंदा से एकत्र राशि के लिए एक निधि का गठन आवश्यक होगा। इस हेतु बिहार राज्य नागरिक परिषद् "परिषद् निधि" का गठन करेगा।

12. नागरिक परिषद् का प्रशासनिक खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जो अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। नागरिक परिषद् के कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित निर्वहन के लिए सरकार पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति कर सकेगी।

13. परिषद् हित में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–13 एवं अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमाली के 1968 के नियम–10 के अधीन चंदा एकत्रित करने की छूट रहेगी।

14. प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, अपने सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग बिहार राज्य नागरिक परिषद् के सदस्य–सचिव के रूप में कर सकेगें।

15. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह पूर्व, राज्य नागरिक परिषद् अपना आय–व्ययक तैयार करेगा और इसे स्वीकृति हतु परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा। परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जायगा।

16. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के अन्दर परिषद् सरकार से प्राप्त अनुदान के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

17. बिहार राज्य नागरिक परिषद्, बिहार राज्य नागरिक परिषद् पर हुए आय एवं व्यय के लेखा का संधारण करेगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार अनुसूचित बैंक में अपना खाता संचालित कर सकेगा। बैंक खाता का संचालन सदस्य सचिव अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस बैंक खाता में सभी स्रोतों से प्राप्त अनुदान/दान की राशि जमा की जा सकेगी।

18. बिहार राज्य नागरिक परिषद् के त्रिस्तरीय परिषद् के लेखाओं का प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जायेगा तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा तथा फलाफल से प्रशासी विभाग को अवगत कराया जायेगा। बिहार राज्य नागरिक परिषद् के लेखा का अंकेक्षण वित्त अंकेक्षण एवं महालेखाकार द्वारा किया जायेगा।

19. बिहार राज्य नागरिक परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक नागरिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा, जिसमें वर्ष के दौरान किये गये कार्य तथा उपलब्धियों का उल्लेख होगा। प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जायेगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियाँ सभी सदस्यों/सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना के लिए भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–

दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारवाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 प्रतियाँ इस विभाग को भी भेजी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 1353

दिनांक– 24/7/09

प्रतिलिपि–सभी सदस्यगण/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित।

24/7/09

सरकार के प्रधान सचिव.